रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/ वैशाख 17, 1940
No. 289] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/ VAISAKHA 17, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **7** मई, 2018

सा.का.नि. 427(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर आवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् **:-**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर आवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर आवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (जग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

> '(जघ) "इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना" से उपस्कर का सेट जिसमें हार्डवेयर और सौफ्टवेयर समाविष्ट है, अभिप्रेत है जो उपयोक्ता फीस के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण को सुकर बनाएगा;'।

3. मूल नियम के नियम 6 के उप-नियम (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

> "परंतु यह भी कि यदि किसी विधिमान्य, कार्यात्मक फास्टैग या किसी ऐसी युक्ति वाला कोई यान उपयोक्ता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना युक्त संस्थापित फीस प्लाजा पार करने वाले सहलग्न खाते में पर्याप्त अतिशेष है, इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना के अपक्रिया के कारण फास्टैग या किसी अन्य युक्ति के माध्यम से उपयोक्ता फीस का संदाय करने में असफल रहता है तो यान उपयोक्ता को किसी उपयोक्ता फीस के संदाय के बिना फीस प्लाजा से गुजरने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । सभी ऐसे संव्यवहारों के लिए समुचित शून्य संव्यवहार रसीद अनिवार्य रूप से जारी की जाएगी ।"

[फा. सं. एच-25016/1/2014-टोल (खंड.II)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. सं. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. सं. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011; सा.का.नि. सं. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 ; सा.का.नि. सं. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014; सा.का.नि. सं. 02(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014; सा.का.नि. सं. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; सा.का.नि. सं. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. सं. 1114(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. सं. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1) after clause (hc), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(hd) “**Electronic Toll Collection Infrastructure**” means set of equipment comprising of hardware and software which shall facilitate electronic collection of user fees;’.

3. In the principal rules, in rule 6, in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso, shall be inserted, namely:-

“Provided also that if a vehicle user with a valid, functional FASTag or any such device with sufficient balance in the linked account crossing a fee plaza installed with Electronic Toll Collection infrastructure, is not able to pay user fee through FASTag or any such device owing to malfunctioning of Electronic Toll Collection infrastructure, the vehicle user shall be permitted to pass the fee plaza without payment of any user fee. An appropriate zero transaction receipt shall be issued mandatorily for all such transactions”.

[F. No. H-25016/1/2014- Toll (Vol.II)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. NO. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E) dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 02(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. No. 1114(E), dated 2nd December, 2016 and G.S.R. No. 248(E), dated 14th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.08 16:04:50 +05'30'